राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3974/2025

1. गोविन्द नारायण चौधरी
2. प्रहलाद चौधरी
3. ललिता शर्मा
4. जगदीश नारायण कुम्हार
5. गीता चौधरी
6. सीता गोस्वामी
7. हनुमान सहाय
8. राम सिंह जाट
9. छाजू लाल बुनकर
10. श्याम कुमार
11. अम्बा लाल मीणा
12. रामावतार मीणा
13. दिलीप कुमार शर्मा
14. ऑमप्रकाश चौधरी
15. शम्भू दयाल
16. बंशी लाल जाट
17. मनसी राम जाट
18. मोहन लाल कुम्हार

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पचांयती राज, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2025
सुनवाई/आदेश की दिनांक : 06.10.2025
:

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री इलियास खान, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.07.2025 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 285 के अनुसार एलडीसी की वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अवर श्रेणी लिपिक (कनिष्ठ सहायक) के पद पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 26.03.2013 को विज्ञापन जारी किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन जिला परिषदवार जारी किया गया था। अवर श्रेणी लिपिक के पद पर चयन अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों और नियमों में निर्दिष्ट बोनस अंकों के आधार

पर किया गया था। अपीलार्थी पात्र होने और सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ रखने के कारण, चयन प्रक्रिया में आवेदन और भाग लिया तथा दिनांक 26.06.2013 के आदेश द्वारा अवर श्रेणी लिपिक के पद पर चयनित हुए। (अनुलग्नक–2) दिनांक 26.06.2013 के आदेश जारी करने के बाद विकास अधिकारियों द्वारा विभिन्न आदेश जारी किए गए। जिन पंचायत समितियों द्वारा अपीलार्थीगण सहित चयनित अभ्यर्थियों को पंचायत समितियां आवंटित की गईं, उनका विवरण इस प्रकार हैः– ''इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् अपीलकर्ताओं ने निर्दिष्ट समय के भीतर आवंटित पंचायत समिति में कार्यभार ग्रहण कर लिया।'' अपीलार्थीगण की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर उनकी सेवाएं स्थायी कर दी गईं और उनका वेतन नियमित वेतनमान में निर्धारित कर दिया गया। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी विभाग ने 01.04.2010 से 01.04.2021 तक लोअर डिविजनल क्लर्क की वरिष्ठता सूची जारी की। आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया। अपीलार्थीगण के नाम उसमें शामिल किए गए। दिनांक 19.12.2022 को एलडीसी की दिनांक 01.04.2022 की वरिष्ठता सूची भी जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी शामिल था। (अनुलग्नक–4) आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात, दिनांक 31.01.2023, 08.10.2023, 21.06.2025 के आदेशों द्वारा अपीलार्थीगण को यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थीगण ने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और आज वे जिला परिषद जयपुर की विभिन्न पंचायत समितियों में यूडीसी के पद पर कार्यरत हैं। (अनुलग्नक–5) दिनांक 01.02.2023 को विकास अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को संबोधित करते हुए एक आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नत पद अर्थात यूडीसी पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दी गई। (अनुलग्नक–6) दिनांक 14.05.2025 को यूडीसी की वरिष्ठता सूची भी जारी की गई है, जिसमें अपीलार्थीगण के नाम शामिल हैं। (अनुलग्नक–7) वरिष्ठता सूची के आधार पर अपीलार्थीगण को वर्ष 2022–23 और 2023–24 की रिक्तियों के विरुद्ध यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया है और वे पिछले 1–2.5 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं। 2015–2016 से वर्तमान मामलों में एलडीसी की वरिष्ठता सूचियाँ जारी की गई हैं और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं और तैयार की गई वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ अपीलार्थीगण को पदोन्नति दी गई है। प्रत्यर्थी विभाग ने 07.07.2023 को एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा स्थायीकरण की तिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दिनांक 21.07.2025 के आदेश को निरस्त फरमाया जावे एवं यूडीसी के पद पर अपीलार्थीगण की पदोन्नति निरस्त करने से रोका जाए क्योंकि उन्हें दिनांक 31.01.2023, 08.10.2023 और 21.06.2025 के आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया है और वे अपीलार्थी को एलडीसी के पद पर वापस भेजने से भी रोका जा सकता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि वे दिनांक 31.01.2023, 08.10.2023 और 21.06.2025 के आदेश के तहत पहले से की गई अपीलार्थीगण की पदोन्नति में कोई बाधा डाले बिना एलडीसी के पद पर वरिष्ठता सूची तैयार की जावें और अन्य उम्मीदवारों की पदोन्नति (वरिष्ठता सूची से, जो दिनांक 21.07.2025 के आदेश के अनुसार तैयार किए जाने का प्रस्ताव है) बाद की रिक्तियों के विरुद्ध की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य